Commencement of National Stock Exchange

6879. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the National Stock Exchange has commenced its operations;

(b) the purpose and main features of the scheme; and

(c) whether there is any proposal to open more such exchanges in other parts of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) The purpose of the National Stock Exchange is to provide nationwide securities trading facilities in an efficient and transparent manner, ensuring safety of operations and investor protection. This Exchage is strongly technology-driven, with fully automated screen-based trading system and modern telecommunication facilities.

(c) The National Stock Exchange itself will be operating from different parts of the country.

Simplified way to Income Tax

6880. SHRI SANJAY DALMIA:

SHRI MAULANA OBAIDLLAH KHAN AZMI:

SHRI J. S. RAJU:

SHRI AAS MOHAMMAD:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment of policy to widen the income tax base by offering retail traders a simplified way of contribution to income Tax;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government contemplate to revise the policy; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) The policy to widen the base of income-tax has been accorded a high priority and is reviewed periodically. Recently a Study Group has been set up in the NIPFP for examining the scope for expansion of the base of income-tax through the mechanism of presumptive tax or estimated income tax.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

6881. **श्री अनन्तराम देवशंकर दवे :**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान मासिक थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है :

(ख) उक्त अवधि के दौरान मासिक थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य की तुलना में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर कितनी थी ;

(ग) उक्त वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की औसत, अधिकतम और न्यूनतम दरों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त वर्ष के दौरान किन-किन वस्तुओं और उत्पादों की वार्षिक मुद्रास्फीति की दर औसत मुद्रास्फीति दर की तुलना में अधिक थी ; और

(ङ) क्या मुद्रास्फीति की दर में कमी लाने के लिए कोई कदम उठाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1994–95 के दौरान मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू० पी० आई०) और औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी० पी० आई०—आई० डब्ल्यू०) तथा मुद्रास्फीति की तदनुरूप वार्षिक दर के ब्यौरे नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

महीना/वर्ष	डब्ल्यू०पी०आई० (आधार 1981–82)		सी०पी०आई०–आई० डब्ल्यू० (आधार 1982)	
	सूचकांक	मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत)	सूचकांक	मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत)
अप्रैल, 94	262.3	11.8	269	9.8
मई, 94	265.4	12.0	272	10.6
जून, 94	268.1	11.8	277	10.8
जुलाई, 94	271.3	11.6	281	11.1
अगस्त, 94	272.1	10.2	284	10.9
सितम्बर, 94	273.2	8.9	288	11.2
अक्तूबर, 94	274.7	8.9	289	10.3
नवम्बर, 94	276.2	9.8	291	9.8
दिसम्बर, 94	279.9	11.2	289	9.5
जनवरी, 95	283.3	12.1	289	9.9
फरवरी, 95	283.9	11.4	291	9.8
मार्च, 95	284.0	10.2	293	9.7

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान औसत, मुद्रास्फीति की अधिकतम और न्यूनतम मासिक दर के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :—

मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत)

	डब्ल्यू०पी०आई०	सी०पी०आई०–आई०डब्ल्यू०
वर्ष के लिये औसत	10.8	10.3
अधिकतम	12.1	11.2
न्यूनतम	8.9	9.5

(घ) थोक मूल्यों की वर्षवार स्थिति दर्शाती है कि केवल प्राथमिक वस्तुओं की स्थिति में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, 10.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर की अपेक्षा 13.2 प्रतिशत पर अधिक थी। सी० पी०आई०–आई०डब्ल्यू की स्थिति में दिसम्बर, 1994 तक उपलब्ध आंकड़े खाद्य समूह में 10.7 प्रतिशत और कपड़े बिस्तर, तथा जूते में, 10.3 प्रतिशत की औसत दर की अपेक्षा दोनों अधिक होते हुए 12.4 प्रशिशत तक वार्षिक मुद्रास्फीति दर दर्शाते हैं ।

(ङ) सरकार कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में सतर्क रहती है और यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि मुद्रास्फीतिकारी

दबाव नियंत्रण में हैं, अनेक उपाय किए गए हैं। किए गए कुछ उपाय थे :—

(i) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली बाजार बिक्री के माध्यम से सार्वजनिक भंडारों से खाद्यान्नों की निर्मुक्ति।

(ii) चीनी के आयात को शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस पर रखना।

(iii) चीनी का शून्य शुल्क पर आयात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(iv) वर्ष 1994-95 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के तहत पामोलिन तेल के आयात की अनुमति देना।

(v) वर्ष 1994-95 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए 1.07 लाख टन पामोलिन तेल का आयात करना।

(vi) मार्च, 1995 से 30 प्रतिशत के घटे शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत प्रमुख खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देना।

(vii) शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रूई के आयात की अनुमति देना।

(viii) तदर्थ सरकारी हुंडियों के निर्गम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार के ऋण लेने पर नियंत्रण लगाना तथा प्रारक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने सहित कई उपायों के जरिए मीट्रिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करना।

(ix) वर्ष 1995-96 के बजट में उत्पाद एवं सीमा शुल्कों में इस तरह की कमी करना जिससे मुद्रास्फीति घट सके।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशि

6882. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिलावार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिलावार कितनी ऋण राशि की वसूली की गई ; और

(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात के लिए तैयार की गई अन्य योजनाओं का, इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई धनराशि सहित ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजनाबद्ध ऋणों के अन्तर्गत विभिन्न एजेंसियों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में योजनाबद्ध ऋणों के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा किए गए प्रयोजनावार संवितरणों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि इन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या से संबंधित ब्यौरे उनके पास उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उधारकर्ता-वार खाते नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने वाले वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं। इसी प्रकार, उधारकर्ता-वार वसूली के ब्यौरे भी सहभागी बैंकों द्वारा रखे जाते हैं, इसलिए उसका ब्यौरा नाबार्ड के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि,